न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 310/2016 — तारीख दायर 14-09-2016 — तारीख फैसला 12/2/20

उनवान

01. रूस्तम
02. ईशाक
03. अयुब
04. अब्दुल
05. हस्ती
06. बस्ती पुत्रान स्व0 श्री जैन खॉ
07. समीम
08. हसन
09. तौफिक पुत्रान स्व0 श्री चन्दर पुत्र स्व0 श्री जैन खॉ
10. मुहरू
11. इलियास पुत्रान स्व0 श्री सलेम
12. रत्ती मौहम्मद
13. अली मौहम्मद
14. शेर मौहम्मद पुत्रान स्व0 मौहम्मद खॉ जाति मेवान निवासीगण ग्राम मुसैपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

-----:: वादीगण

बनाम

01. रहमती धर्मपत्नी स्व0 श्री दीनमौहम्मद
02. कुर्शेद
03. रफी
04. फकरू
05. समयदीन पुत्रान स्व0 श्री दीनमौहम्मद पुत्र स्व0 श्री सलेमान
06. फजरू
07. उमरमौहम्मद पुत्रान स्व0 श्री सुलेमान
08. मौहम्मदी
09. मजीदा
10. मगरी पुत्रीयान स्व0 श्री सलेमान
11. कपूरा

2. सकूर खॉं
3. रहमान
4. शरीफ खॉं
5. सरीफ पुत्रान स्व0 श्री रायमल जाति मेवान निवासीगण ग्राम मुसैपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी पैरोकार तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

————:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय **हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत** धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **साबिक आराजी खसरा** नम्बर 181 रकबा 12 बिस्वा, जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 171 रकबा 5 बिस्वा, 128 **रकबा 5 बीघा से** मिलकर पैमुद किये गये है, जो वाके ग्राम मुसैपुर तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 171 रकबा 5 बिस्वा इस वाद विवादित कहलावेगी। साबिक आराजी मिन वादीगण के पूर्वज धूता की कब्जे काश्त पटटेदारी खातेदारी की आराजी थी। जिस पर वादीगण का पूर्वज धूता अपने जीवनकाल में काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करता रहा है। जिसके नाम का अंकन साबिक रिकार्ड जनाबन्दी संवत् 2013 लगायत 2016 में दर्ज रिकार्ड है। वादीगण के पूर्वज धूता के मरने के बाद उसके तीन पुत्रान जैनखॉं, सलेम व मौहम्मद खॉं काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते रहे है तथा इनके मरने के उपरान्त अब हम वादीगण बदस्तूर काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते चले आ रहे है। वादीगण के पूर्वज धुता के मरने के उपरान्त उसके वारिसान जैनखॉं, सलेम व मौहम्मद खॉं अपने पिता धूता से मिली विरासत की आराजी पर बदस्तूर शान्तिपूर्वक विना रोक टोक के काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते रहे है और उनके मरने के बाद हम वादीगण जोकि जैनखां, सलेम व मौहम्मद खां के विधिक वारिसान है, काबिज आराजी चले आ रहे है तथा मौके पर हमारा वास्तविक कब्जा है। उक्त विवादित आराजी हम वादीगण को विरासत में प्राप्त हुई है तथा जन्म से ही काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते चले आ रहे है। विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है। साबिक रिकार्ड जमावन्दी संवत् 2013 लगायत 2016 में हमारे पूर्वज के नाम का अंकन पटटेदारी खातेदारी का दर्ज रिकार्ड है तथा जमावन्दी संवत् 2022 में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने जमाबन्दी पैमूद करते समय उक्त विवादित आराजी को आवादी में गलत अंकन कर दिया एवं सैटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने जमावन्दी संवत् 2029 पैमुद करते समय उक्त साबिक आराजी के हाल खसरा नम्बर 171 व 128 से मिलकर पैमुद करते समय हाल आराजी खसरा नम्बर 128 का अंकन सही दर्ज किया तथा हाल खसरा नम्बर 171 में साबिक आराजी खसरा नम्बर 181 का 5 विस्वा रकवा गलत रूप से शामिल कर प्रतिवादीगण के पूर्वज जमावन्दी में प्रतिवादीगण के नाम का अंकन कर दिया तथा वर्तमान जमावन्दी में प्रतिवादीगण के नाम का अंकन चला आ रहा है। जो खिलाफ साबिक रिकार्ड, खिलाफ मौका है। जो हम वादीगण के हकूकों के खिलाफ बातिल वो बेअसर है, प्रभाव शून्य है, नाकाबिले पावन्दी है। जिसे इसी कदर हम वादीगण दुरूस्त कराकर जमावन्दी सं0 2013

पेशी

लगायत 2016 के अनुसार जमाबन्दी संवत् 2022 में गलत आबादी दर्ज आया अंकन व जमाबन्दी संवत् 2029 में प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम आया अंकन तथा वर्तमान हाल जमाबन्दी में प्रतिवादीगण के नाम आया अंकन हजफ करवाकर हम वादीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है तथा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण ने सूचि अनुसार दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गये।

अतः दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया व जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 अनुपस्थित रहे। इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण को साक्ष्य का अवसर दिया गया। साक्ष्य वादीगण शामिल पत्रावली की गई। वकील वादीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस वकील वादी पर मनन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबन्दी संवत् जमाबन्दी सं0 2013 लगायत 2016 में मूल के नाम दर्ज रिकार्ड थी। साबिक खसरा नम्बर 181 से खसरा नम्बर 128 व 171 पैमुद किये गये है। खसरा नम्बर 171 में वादीगण के पूर्वजों का नाम दर्ज नहीं किया गया है दावा डिकी किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 171 रकबा 5 बिस्वा वाके ग्राम मुसैपुर तहसील तिजारा जिला अलवर पर दर्ज प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर वादीगण संख्या 1 लगायत 9 के 1/3 हिस्सा वादीगण संख्या 10 व 11 के 1/3 हिस्सा, वादीगण संख्या 12 लगायत 14 के 1/3 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

पत्रावली आज प्रार्थी/वादी के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई वादी के द्वारा 151 जा0दी0 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया है कि आदेश में प्रतिवादी 11 का नाम कपूर खां की जगह कपूरा तथा 13 का रमजान की जगह रहमान लिखवा गया है जिसे शुद्ध किये किया जाना उचित है प्रार्थना पत्र व आदेश का अवलोकन किया जाकर वकील वादी को सुना गया, प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल आदेश व पर्चा डिक्री में प्रतिवादी 11 का नाम कपूरा की जगह कपूर खां तथा प्रतिवादी 13 का नाम रहमान की जगह रमजान पढा जावें। आदेश दिया जाता है।

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)